IJAER/May-June 2018/Volume-6/Issue-6 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ग्रामीण घरेलू महिलाओं पर स्वयं सहायता समूहों का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

डॉ॰ संतोष कुमारी

एसोसिएट प्रोफेसर

एवं अध्यक्षाए समाजशास्त्र विभाग

जे॰के॰पी॰पी॰जी॰ कॉलेज मुजफ्फरनगर

सार

सशक्तिकरण शब्द को उस प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जिसके द्वारा महिलाएं निर्णयों के लिए नियंत्रण और जिम्मेदारी लेती हैं। सशक्तिकरण जागरूकता और सीमा निर्माण की एक प्रक्रिया है जो अधिक उल्लेखनीय भागीदारी को प्रेरित करती है, अधिक उल्लेखनीय निर्णय लेने की शक्ति और नियंत्रण और परिवर्तनकारी गतिविधि के लिए। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की शक्ति को उनकी जबरदस्त क्षमता का विवेक करके और आत्म–सम्मान, अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ एक व्यक्ति के रूप में आत्मविश्वास और कौशल के माध्यम से एक शानदार और पूर्ण जीवन शैली प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आग्रह करना। सशक्तिकरण के केंद्रीय तत्वों को कार्यालय (किसी के उद्देश्यों को चिह्नित करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने की क्षमता), लिंग शक्ति संरचनाओं के बारे में जागरूकता, आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास के रूप में चित्रित किया गया है।

परिचय

1985 में नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में एक विचार के रूप में सशक्तिकरण प्रस्तुत किया गया था। सभा ने सशक्तिकरण को महिलाओं के लिए सामाजिक शक्ति और संसाधनों के नियंत्रण का पुनर्वितरणष के रूप में वर्णित किया। यह ष्मौजूदा शक्ति संबंधों का परीक्षण करने और अधिक प्रमुख नियंत्रण बढ़ाने का तरीका है।

सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें कई कोण शामिल हैं जैसे जागरूकता में सुधार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संसाधनों तक पहुंच का विस्तार आदि। गरीब और विकासशील राष्ट्र। वैश्वीकरण का प्रभाव लंबे समय में किसी न किसी रूप में महिलाओं की स्थिति पर अलग–अलग डिग्री के साथ विकासशील देशों के बड़े हिस्से में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी एक अविश्वसनीय तरीके से कड़ी मेहनत की है पिछले वर्षों में इस मुद्दे पर विश्व समुदाय का उचित विचार करें। महिला सशक्तिकरण महिलाओं की गुणवत्ता में विस्तार के लिए संकेत देता है, उदाहरण के लिए, गहरा, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक। महिला अधिकारिता का सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त स्पष्टीकरण है किसी की

गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण निकालने की क्षमता। तदनुसार, महिला सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में तब होता है जब महिलाएं अनुभव पूरा करती हैं निर्णय लेने में निश्चित नियंत्रण और भागीदारी जो संसाधनों तक उनकी बेहतर पहुंच को बढ़ावा देती है, इसमें नियमित रूप से अपनी विशेष सीमाओं में विश्वास पैदा करने वाले सशक्त शामिल हैं।

सशक्तिकरण आमतौर पर एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जिसके द्वारा कमजोर व्यक्ति अपनी स्थिति से अवगत हो जाते हैं और सामूहिक रूप से सार्वजनिक प्रशासन या लाभ या आर्थिक विकास के लिए अधिक उल्लेखनीय पहुंच बढ़ाने के लिए लिखते हैं। शक्ति दो प्रकार की होती है। सर्वप्रथम, सशक्तिकरण की पहचान कुल मिलाकर गरीबों या उन व्यक्तियों से की जाती है जो शक्तिहीन हैं। दूसरा महिला सशक्तिकरण है।

राजनीतिक प्रतिबंध के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बुनियादी है। महिलाओं को अलग–अलग चरणों में एक साथ कई वर्षों तक कम किया जाता है, और इसी तरह उन्हें कमजोर के रूप में ब्रांडेड किया जाता है और आगे के चरण को प्राप्त करने के अलावा उन्हें ढाल दिया जाता है। इस अनूठी स्थिति में, निर्णय लेने और परिवर्तन गतिविधि में उनकी अधिक उल्लेखनीय भागीदारी के लिए जागरूकता बढ़ाने और काम को सीमित करने के लिए सशक्तिकरण की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, विवाह आदि के संबंध में व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाती है। महिला के जीवन भर अलग–अलग फैसले देना रिश्तेदारों, संस्थागत और सामुदायिक समर्थन पर निर्भर करता है। परिवार में पुरुष व्यक्ति को प्रदाता माना जाता है, भौतिक और वित्तीय संसाधन उसके नाम और नियंत्रण में होते हैं, आमतौर पर सत्ता उसके हाथ में होती है। महिलाओं को संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण से वंचित किया जा रहा है, उन्हें सत्ता का दावा करने से रोका जा रहा है। दरअसल, समुदाय के कारण भी, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन, नींव और राजनीतिक शक्ति पुरुषों के हाथों में पैक की जाती है। महिलाओं को इस क्षेत्र से दूर रखा जाता है। इस स्थिति में महिलाओं को संसाधन दर्शन और स्वयं पर नियंत्रण करके शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है। जैसा भी हो सकता है, सशक्तिकरण सत्ता तक ही सीमित नहीं है। यह व्यापक और विशिष्ट आयामों के साथ एक बड़ा और अधिक व्यापक विचार है।

व्यवसाय बैंकों, सह–एजेंट बैंकों, प्रादेशिक देहाती बैंकों, नाबार्ड और एनजीओ की प्रणाली के माध्यम से एसएचजी काफी हद तक आपूर्ति संचालित और गरीबों के लिए वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था में एक मौजूदा दृष्टिकोण और समाज में उनकी स्थिति में और अधिक सुधार कर रहे हैं। इस प्रकार, स्वयं सहायता समूह न केवल देश की गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि लाभकारी रोजगार बढ़ाने के अलावा प्रांतीय आरक्षित निधि को आगे बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जांच एसएचजी के विकास के बारे में सोचने और महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने और एसएचजी में शामिल होने के बाद महिलाओं के आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। जांच के लिए डेटा सहायक स्रोतों से एकत्र किया गया है, जैसे कि विभिन्न पुस्तकें, पत्रिकाएं, दैनिक पत्र, वितरित साहित्य, साइट और वार्षिक रिपोर्ट।

हाल के दशकों में, महिला सशक्तिकरण का विचार कल्याण से मूल्य दृष्टिकोण में बदल गया है, जिसके द्वारा शक्तिहीन लोग बाहरी बाधाओं (स्वास्थ्य, गतिशीलता, शिक्षा और जागरूकता की कमी, परिवार में स्थिति, निर्णय लेने में भागीदारी) और आंतरिक विशेषताओं में वृद्धि, उदाहरण के लिए, आत्म–जागरूकता और आत्मविश्वास। इस प्रकार, समय व्यतीत परिवर्तन के दौरान महिला सशक्तिकरण किसी भी समुदाय के वित्तीय विकास के लिए आवश्यक हो गया है।

भारत अपनी आजादी के 6वें दशक में है और यह 21वीं सदी की सीमा पर है। व्यवस्थित आर्थिक विकास के पांच दशकों के बावजूद, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उपलब्धि व्यापक रूप से निराशाजनक है। इसके बाद से महिला विकास पर और अधिक असाधारण दृष्टि डालने को अत्यधिक महत्व की आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा है। वर्तमान परीक्षा इस विशिष्ट स्थिति में इसे प्रासंगिक बनाती है।

ग्रामीण घरेलू महिलाओं पर स्वयं सहायता समूहों का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की रणनीति योजना पर अधिक बनी हुई है क्योंकि आज की तारीख में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इस प्रकार पिछले दशकों में किए गए प्रयासों की प्रगति के बावजूद, भारत में ग्रामीण गरीबी गंभीर बनी हुई है। देश के विकास पर गरीबों की इतनी व्यापक आबादी का प्रतिकूल प्रभाव बहुत अधिक है। हमारे देश में गरीबों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी मदद करने के लिए वर्षों से एक बहु–कार्यक्रम और बहु–संगठन दृष्टिकोण अपनाया गया है।

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)

इस कार्यक्रम के तहत गैर–खेती अभ्यासों को सक्रिय करने के लिए अलग–अलग के लिए वितरित किए गए कुल हिस्से के प्रत्येक पैसे के लिए 20 के साथ नींव विकास को महत्व दिया गया था। ग्रामीण गरीबों के लिए अतिरिक्त मजदूरी और स्वरोजगार व्यवसायों के निर्माण के लिए मध्यस्थता करने पर, परिवार और सामाजिक अलगाव की भारी लागत पर ग्रामीण आबादी के अपने घर के बाहर व्यापक पैमाने पर स्थानांतरण से रणनीतिक दूरी बनाए रखने पर भरोसा किया गया था। जिंदगी।

2. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण

योजना अगस्त 1979 में आईआरडीपी अभ्यासों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 18–35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को आवश्यक विशिष्ट और प्रबंधकीय क्षमता प्रदान करने के लिए चला गया ताकि उन्हें कृषि और संबंधित क्षेत्रों, उद्योगों, सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके। और व्यापार अभ्यास।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डीडब्ल्यूसीआरए)

वर्ष 1982–83 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, गरीब परिवार इकाइयों की महिलाओं के आय स्तर को बढ़ाने के लिए चला गया ताकि आर्थिक आत्म–निर्भरता की दिशा में सामाजिक विकास में उनकी संगठित भागीदारी को सशक्त बनाया जा सके। आवश्यक उद्देश्य गरीब परिवारों की 10–15 महिलाओं को शहरी स्तर पर समूहों में ऋण, योग्यता प्रशिक्षण और स्व–रोजगार के लिए बुनियादी ढांचे के समर्थन जैसी सेवाओं के वितरण के लिए विकसित करना था। इसका उद्देश्य एकत्रित व्यवस्था की तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, भरण–पोषण, पानी और स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाना था।

4. ग्रामीण कारीगरों को बेहतर टूल–किट की आपूर्ति

यह अतिरिक्त रूप सहायक खंड था और वर्ष 1992–93 में प्रस्तुत किया गया था। लक्ष्य ग्रामीण शिल्पकारों को आइटम की प्रकृति में सुधार करने, मौजूदा उपकरणों के उपयोग के साथ निर्माण और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए सशक्त बनाना था।

5. गंगा कल्याण योजना (जीकेवाई)

योजना को फरवरी 1997 से प्रभावी रूप से लागू किया गया। योजना का लक्ष्य बोरवेल और नलकूपों के माध्यम से भूजल के दुरुपयोग के माध्यम से लोगों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले छोटे और परिधीय किसानों के समूहों को पानी की व्यवस्था देना था। सहायता वित्तीय प्रतिष्ठानों से सावधि ऋण के रूप में थी और सरकार द्वारा बंदोबस्ती की गई थी। संपत्ति के प्रत्येक पैसे के लिए 50 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे और सब्सिडी डिजाइन केंद्र और राज्य के बीच था।

6. मिलियन वेल्स योजना

यह योजना 1988–89 के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उप–योजना के रूप में शुरू की गई थी और जनवरी 1996 से इसे मुफ्त योजना में बदल दिया गया। योजना का लक्ष्य खुले पानी देना था गरीब, छोटे और छोटे किसानों, जो गरीबी रेखा से नीचे थे और मुक्त गढ़वाले मजदूरों के लिए निशुल्क प्रणाली कुएं।

7. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

यह कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में अनगिनत उद्यम स्थापित करने के लिए जाता है, ग्रामीण गरीबों की क्षमता का विस्तार करता है। यह दृढ़ विश्वास में स्थापित है कि भारत में ग्रामीण गरीबों के पास कौशल है और सही मदद दी जाए तो वे लाभदायक सेवाओं के प्रभावी निर्माता हो सकते हैं। गरीब पूरी तरह से गरीबी से लड़ सकते हैं, विशेष रूप से नहीं। इस कारण को पूरा करने के लिए उन्हें अपना विशेष संघ बनाने की जरूरत है। गरीबों के भीतर अपनी समस्याओं को सुलझा

लेने और अपनी मदद करने की जबरदस्त क्षमता और तत्परता होती है। वित्तीय आधार या पारंपरिक व्यवसाय के मामले में सजातीय व्यक्ति मिलते हैं और व्यक्तियों को इकट्ठा करने के लाभ के लिए एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक समग्र उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में व्यवस्थित होते हैं।

भारत में शहरी निर्माण संघ हैं जो आरक्षित निधि और ऋण के निर्माण के संबंध में ध्यान केंद्रित करते हैं, और साथ ही अपने व्यक्तियों के सामाजिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। एक औसत सभा में 10–20 गरीब महिलाएं होती हैं, जिनके पास तुलनात्मक वित्तीय नींव होती है, जो सात दिनों में एक बार मिलती हैं ताकि निवेश निधि एकत्र की जा सके और साझा महत्व के मुद्दों पर बात की जा सके। स्टोर समूह के खाते में जमा हो जाता है, जो जरूरतमंद लोगों को ऋण देने के लिए उपलब्ध होता है। उनके लक्ष्यों में से एक सामुदायिक मुद्दों को बढ़ाना है, उदाहरण के लिए, महिलाओं का दुर्व्यवहार, शराबखोरी, दहेज का ढांचा, शैक्षिक गुणवत्ता और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा।

देश के कई हिस्सों में महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को निर्णय लेने के स्तर तक पहुंचाने में प्रगति की है। हमारे देश में महिला कल्याण के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है, अतिरिक्त रूप से ग्रामीण महिलाओं को लघु पैमाने पर ऋण देने और उन्हें उद्यमशीलता के अभ्यास में एक साथ सशक्त बनाने के लिए स्थापित किया गया है। गरीबी को कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत में छोटे पैमाने पर फंड, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और क्रेडिट प्रबंधन समूह अतिरिक्त रूप से शुरू हो गए हैं।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एक समूह बनाने के लिए एक छोटा सा जानबूझकर संबंध है। यह बीस से अधिक व्यक्तियों का आकस्मिक और सजातीय जमावड़ा नहीं है। एसएचजी में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं क्योंकि 20 से अधिक व्यक्तियों वाले किसी भी समूह को भारतीय कानूनी ढांचे के तहत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यही कारण है कि, उन्हें संगठन, दुर्बलता, अनावश्यक प्रबंधकीय उपभोग और लाभ तर्क से दूर करने के लिए आकस्मिक होने की सलाह दी जाती है। सच कहा जाए तो यह गरीबी कम करने का घरेलू विकसित मॉडल है जो हर समय अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और सशक्त बनाने का प्रयास करता है। समूहों को समरूप होना आवश्यक है ताकि व्यक्तियों में टकराव की रुचि न हो और सभी व्यक्ति बिना किसी भय के खुले तौर पर भाग ले सकें। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) आंदोलन ने भारत में ग्रामीण ऋण हस्तांतरण ढांचे में एक शांत परिवर्तन को सक्रिय कर दिया है। एसएचजी ने ग्रामीण गरीबों को उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ऋण देने के लिए एक सम्मोहक माध्यम के रूप में प्रदर्शित किया है।

भारत सरकार को संयुक्त स्वामित्व में जमीन खरीदने या किराए पर लेने की संभावनाओं की जांच करने के लिए वर्तमान एसएचजी से आग्रह करने के लिए अपनी गतिविधि डिजाइन नीति में शामिल करने की आवश्यकता है। यदि यह एक वास्तविकता में बदल जाता है, तो इसका मुख्य लक्ष्य एकत्रित कुल शक्ति का निर्माण करने के उद्देश्य से भूमि आधारित गतिविधियों में लगे समूहों को डेटा, वित्तीय और ढांचागत सहायता देना होगा।

इसके अलावा, यांत्रिक सहायता प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, कॉलेजों और अन्य विशिष्ट अनुसंधान प्रतिष्ठानों के साथ स्वयं सहायता समूहों को महत्वपूर्ण कार्यालयों के विकास और समूहों के अभ्यास के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी और संचार के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए एक गतिविधि है।

किसी भी देश की प्रगति निश्चित रूप से उस देश में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा से जुड़ी होती है, इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। एसएचजी में भागीदारी के लिए पद्धति द्वारा सशक्तिकरण से सौभाग्यशाली बदलाव आ सकते हैं और गरीब और विकासशील देशों में महिलाओं के रहने की स्थिति में सुधार हो सकता

स्वयं सहायता समूह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाओं (10–20) की एक विशाल सभा को बुनियादी लक्ष्यों के साथ जानबूझकर मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि विकास अभ्यासों में रुचि ली जा सके, उदाहरण के लिए बचत, ऋण और आय आयु आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी। घटना निस्संदेह महिलाओं के बीच समूह जागरूकता, अपनेपन की भावना, पर्याप्त आत्मविश्वास लाती है। वास्तव में, वह एक व्यक्ति के रूप में जो हासिल नहीं कर सकती, वह समाज के एक सम्मानित सदस्य के रूप में समाज के एक सम्मानित सदस्य के रूप में अपने स्वयं के अधिकारों, भागों, लाभों और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त समझ के साथ सभा के सदस्य के रूप में प्राप्त कर सकती है। जब वह सदस्य बन जाती है, तो उसकी सार्वजनिक भागीदारी की भावना, सामाजिक अभ्यासों का प्रवर्धित क्षितिज, उच्च आत्म–सम्मान, आत्म–सम्मान और जीवन में पूर्णता का विस्तार होता है और प्रतिभागियों, निर्णय निर्माताओं और प्राप्तकर्ताओं के रूप में महिलाओं की स्थिति की प्रकृति को उन्नत करता है। लोकप्रियता आधारित, आर्थिक सामाजिक और जीवन के सांस्कृतिक हलकों। दिन के अंत में, हम कह सकते हैं कि ेभ्ळ महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक सफल साधन है जो अंततः भारत जैसे राष्ट्र के सामान्य विकास में योगदान देता है जिसमें अभी भी महिलाओं की आबादी का व्यापक वर्ग वंचित, अशिक्षित, दुर्व्यवहार और वंचित है। सामाजिक और आर्थिक स्पेक्ट्रम के मौलिक अधिकार।

कई देशों में एसएचजी के अनुभव हाल ही में एक शक्तिशाली तकनीक और दृष्टिकोण के रूप में शानदार सफलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों में माइक्रो–क्रेडिट समूहों के रूप में केंद्रित प्रयासों को इकट्ठा करना वर्तमान स्व–सहायता प्रयासों के उदाहरण हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण समूह, स्थानीय स्व–सहायता विकास प्रयास – केन्या में हरामबी, 10 से 15 सदस्यों के साथ टोंटीन्स या हुई वियतनाम में नकदी या वस्तु के माध्यम से वित्तीय गतिविधियों में लगे हुए हैं, ऋण संघों, मछुआरा समूहों, गांव–आधारित बैंकों के माध्यम से स्वयं सहायता प्रयास, जल प्रणाली समूह और इतने पर इंडोनेशिया में, थाईलैंड, नेपाल, और श्रीलंका और भारत जैसे देशों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) प्रभावी रूप से छोटे पैमाने के क्रेडिट समूहों या एसएचजी के प्रकारों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

सबसे अधिक संभावना है, मौलिक अधिकार, राज्य नीति और मौलिक कर्तव्यों के निर्देशक मानक और इसी तरह सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए महिलाओं को समान स्थिति की गारंटी देते हैं और असामान्य आश्वासन देते हैं जो आर्थिक आयाम से परे महिलाओं के विकास को प्रेरित करते हैं और समानता के साथ पहचान करने वाले मुद्दों पर जोर देते हैं,

व्यक्तिगत स्तर पर स्वशासन और आत्म निर्भरता। एक एकत्रीकरण केंद्रित मॉडल के रूप में, भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के माध्यम से व्यक्तिगत और समग्र सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए महिलाओं के विकास का एक घटक है। वर्तमान में भारत में महिलाएं घरेलू हिंसा, बढ़ती लागत, वैध अलगाव, मारपीट, बाल विवाह, घरेलू हिंसा आदि को चुनौती देने के लिए सक्रिय हैं। इस प्रकार, इसका अर्थ विभिन्न प्रकार की शक्तियों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना है।

निष्कर्ष

महिलाएं हमारे देश की आबादी के हर पैसे के लिए 52 बनाती हैं। जब तक उनकी जरूरतें और रुचियां पूरी तरह से पूरी नहीं हो जातीं, तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। सशक्तिकरण का तब तक कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि उन्हें समाज में उनकी समान स्थिति के लिए ठोस, सचेत और जागरूक नहीं बनाया जाता। दृष्टिकोण उन्हें समाज के मानक में ले जाना चाहिए। महिलाओं को पढ़ाना जरूरी है। महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए बहुत महत्व की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा विकास का मार्ग है। सशक्तिकरण अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा यदि महिलाओं को निर्देश दिया जाता है, बेहतर शिक्षित किया जाता है और वे सामान्य निर्णय ले सकती हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के हिस्से के संबंध में सामाजिक सोच और विवेक में बदलाव लाना अनिवार्य है।

महिलाओं का सशक्तिकरण हाल ही में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरा है। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आजकल एक राष्ट्र के लिए अपरिहार्य प्रगति के रूप में देखा जा रहा हैय फलस्वरूप महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा रणनीति विद्वानों, सामाजिक शोधकर्ताओं और सुधारकों के लिए मौलिक महत्व का है। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भागीदारी ने देश की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए तैयार किया है। उसके माध्यम से वे आर्थिक रूप से मुक्त हो रहे हैं और दूसरों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समुदाय का विकास हुआ।

संदर्भ

1. एरेने.सीजे और अजीह.आई.ई., नाइजीरिया में ग्रामीण महिलाओं की कृषि उत्पादकता पर लिंग आधारित विस्तार प्रणाली का तुलनात्मक प्रभाव विश्लेषण कृषि प्रगति, वॉल्यूम–71, 1996, पीपी.77–84।

2. अश्विनी घोरपड़ा, स्वयं सहायता समूहों के लिए भागीदारी दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया, सर्च बुलेटिन, जनवरी से मार्च, खंड–ग्प्ट, संख्या–1, 1999, पीपी 57–66।

3. एवलोस.बी, वुमन डेवलपमेंट, पैसिफिक इकोनॉमिक बुलेटिन, वॉल्यूम–10, नंबर–1, 1995, पीपी.73–83।

4. अजीजाह। वीमेन एंड डेवलपमेंट एंड चेंज इन नेगेरी सेम्बियन, ए माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव, साउथईस्ट एशिया स्टडीज, वॉल्यूम–34, नंबर–4, 1997, पीपी.696–721।

5. बालकृष्णन.आर और स्टीफेंस.ए., एशियाई कृषि विकास और घरेलू खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को प्रभावित करने वाले रुझान, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की भूमिका, एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो, 2002, पीपी. 21–32 .

6. बालासुब्रमण्यन। सी।, संगम युग के दौरान तमिलनाडु में महिलाओं की स्थिति, नारुमलार पथिपगम, चन्नई, 1992।

7. बातिश.एस., कौर.एम. और ढिल्लों.एम.के., रूरल वीमेन देयर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कांफ्रेंस पेपर ऑन इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, चंडीगढ़, वॉल्यूम–2, नवंबर 1998, पीपी.698–703।

8. निचे.डी.ई., डंबेल.आर, मारो.आर., क्रेडिट के माध्यम से तंजानिया में महिला समूह का समर्थन क्या यह अधिकारिता के लिए एक रणनीति है, सीडीआर वर्किंग पेपर, डेनमार्क, 1995, पीपी.14।

9. भट्ट सीडी, सशक्तिकरण और ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, एक केंद्रीय हिमालयी परिप्रेक्ष्य, एमडी प्रकाशन (पी) लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998, पीपी.12–14।

10. भट्ट.ई., स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड पुअर वीमेन, द केस फॉर रिडिसिजिंग डेवलपमेंट, फ्यूचर, वॉल्यूम–28,1998, पीपी. 12–14।